



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

९ चैत्र १९३९ (श०)

(सं० पटना २५५) पटना, वृहस्पतिवार, ३० मार्च २०१७

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
२८ मार्च २०१७

एस०टो० २२, दिनांक ३० मार्च २०१७—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ११) की धारा-५ के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-१(ब) के स्तम्भ-२ में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -१(ब) के स्तम्भ-०२ में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-१(अ) के स्तम्भ-०१ के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-२ के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची १(अ) के स्तम्भ-०४ में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-१(अ)

| माह एवं वर्ष | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (२००१-१००) | आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर | परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (१९६०-१००) |
|---------------|---|--|--|
| जुलाई, २०१६ | २८० | ४.६३ X ४.९३ | ६३९१.२५ |
| अगस्त, २०१६ | २७८ | ४.६३ X ४.९३ | ६३४५.६० |
| सितम्बर, २०१६ | २७७ | ४.६३ X ४.९३ | ६३२२.७७ |
| अक्टूबर, २०१६ | २७८ | ४.६३ X ४.९३ | ६३४५.६० |
| नवम्बर, २०१६ | २७७ | ४.६३ X ४.९३ | ६३२२.७७ |
| दिसम्बर, २०१६ | २७५ | ४.६३ X ४.९३ | ६२७७.१२ |
| योग :- | | | ३८००५.११ |

औसत :- ३८००५.११ ÷ ६

= ६३३४.१८

अनुसूची-1(ब)

कृषि नियोजन, अधिसूचना सं0- 4973, 4974 दिनांक 29.11.2016
 (गजट संख्या-1023 दिनांक 30.11.2016)

अनुसूची-1।

| क्र0 सं0 | कामगारों की कोटि | दिनांक 01.12.2016 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में) | परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी होगी। (रुपये में) | दिनांक 01.04.2017 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3+4) (रुपये में) |
|-------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए। | 227.00 | 5.00 | 232.00 प्रतिदिन |
| 2 | ट्रेक्टर ड्राइवर एवं पम्प ऑपरेटर। | 8168.00 | 163.00 | 8331.00 प्रतिमाह |
| 3 | ट्रेक्टर खलासी / पम्प खलासी/ चौकीदार/सिपाही/ हलवाहा। | 6355.00 | 127.00 | 6482.00 प्रतिमाह |
| 4 | कटनी | काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा। | | |

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथोस्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2016 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2017 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं0 5/एम0डब्लू0-402/09 श्र0सं0-1199)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 अरुण कुमार नं0-1,
 अवर सचिव।

28 मार्च 2017

एस0ओ0 23, एस0ओ0 22, दिनांक 30 मार्च 2017 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं0 5/एम0डब्लू0-402/09 श्र0सं0-1200)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 अरुण कुमार नं0-1,
 अवर सचिव।

The 28th March 2017

S.O. 22, dated the 30th March 2017—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act the Governor of Bihar is pleased to introduce the

formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

SCHEDULE- 1-(A)

| Month & Year | Index N0 Base Year (2001-100) | Link Factor Change for base year | Changed Index No. for base year (1960-100) |
|-------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| July,2016 | 280 | 4.63 X4.93 | 6391.25 |
| August,2016 | 278 | 4.63 X4.93 | 6345.60 |
| September,2016 | 277 | 4.63 X4.93 | 6322.77 |
| October,2016 | 278 | 4.63 X4.93 | 6345.60 |
| November,2016 | 277 | 4.63 X4.93 | 6322.77 |
| December,2016 | 275 | 4.63 X4.93 | 6277.12 |
| | | Total | 38005.11 |
| Average :- | | 38005.11 ÷ 6 | = 6334.18 |

Schedule-1(B)

Agriculture Operations

Notification No. - 4973, 4974 dated 29.11.2016

Gazette No.- 1023 dated 30.11.2016

Schedule-II

| Sl | Category of Workers | From Dated- 01.12.2016 Minimum Wages Fixed (In. Rs.) | Amount of V.D.A which is effective from the date 01.04.2017 | Total rates of Wages effective from the date 01.04.2017 (Column 3+4) |
|-----------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | All other agricultural operations except harvesting | 227.00 | 5.00 | 232.00 Perday |
| 2 | Tractor Driver and Pump operator | 8168.00 | 163.00 | 8331.00 Permonth |
| 3 | Tractor Khalasi / Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi | 6355.00 | 127.00 | 6482.00 Permonth |
| 4 | Harvesting | One bundle in 10 bundle of harvested crops. | | |

The rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in colum-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if

the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed/ revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-December, 2016** will be payable at the aforesaid rates from **April, 2017** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of the three said period of six months.

(No. 5/M.W- 402/09 L&R- 1199)
By the order of the Governor of Bihar,
Arun Kumar No.-1,
Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 255-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>